श्री अरविन्द कुमार वर्मा, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा दिनांक 31.03.2018 को चौसा प्रखण्ड में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी एवं पंचायत स्तर कर्मियों तथा जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक एवं संध्या चौपाल की कार्यवाही।

==

दिनांक 31.03.2018 को अपराह्न 4.00 बजे चौसा प्रखण्ड के सभागार में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में प्रगति हेतु बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में कुमारी अनुपम सिंह, वरीय उप समाहर्त्ता–सह–मेंटर, चौसा प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं अन्य प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी तथा ग्राम पंचायतों के मुखिया, वार्ड सदस्य तथा पंचायत स्तरीय कर्मी उपस्थित थे। बैठक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में प्रगति हेतु कार्य योजना पर निम्नवत् चर्चा की गई तथा आवश्यक निदेश दिये गये–

(1) बैठक में बताया गया कि चौसा प्रखण्ड में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अन्तर्गत बेहतर कार्य हुआ। अब इस प्रखण्ड को अगले 10 दिनों में खुले में शौच मुक्त किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। बताया गया कि दूसरे राज्यों से स्वच्छाग्रही आ रहे हैं तथा कुछ स्वच्छाग्रही को इस प्रखण्ड में भी प्रतिनियुक्त किया जाएगा जो शौचालय विहीन परिवारों एवं खुले में शौच जाने वाले लोगों से मिलकर उन्हें स्वच्छता के बारे में जानकारी देंगे तथा उन्हें शौचालय निर्माण एवं उसके उपयोग हेतु प्रेरित करेंगे।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि स्वच्छाग्रही के भ्रमण के लिए पंचायत एवं वार्डो का चयन पूर्व से करके कार्यक्रम बना लें तथा उनके साथ पंचायत स्तरीय कर्मियों/प्रखण्ड के पर्यवेक्षकों को प्रतिनियुक्त करेंगे ताकि वे स्वच्छताग्रही के कार्य में सहयोग कर सकें।

(2) बैठक में बताया गया कि चौसा प्रखण्ड को खुले में शौच मुक्त किये जाने हेतु लगभग 4000 परिवारों को शौचालय बनाया जाना अवशेष है। सभी प्रखण्डों के नोडल पदाधिकारियों एवं पंचायत स्तरीय कर्मियों को निदेशित किया गया कि दिनांक 1.4.2018 से अपने संबद्ध पंचायत में पहुँच कर अपने दायित्वों को निर्वहन करेंगे तथा अगले 10 दिनों तक उस पंचायत में ही रात्रि विश्राम करेंगे ताकि सुबह/शाम फॉलो एवं निगरानी का कार्य बेहतर तरीके अपने उपस्थित में करा सकें। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि महिला पर्यवेक्षिका या वैसे पर्यवेक्षक जो किसी पंचायत में लोहिया स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत प्रतिनियुक्त नहीं हो उन्हें आदेश निर्गत कर किसी पंचायत में प्रतिनियुक्त कर दें।

(3) सभी नोडल पदाधिकारियों एवं पंचायत स्तरीय कर्मियों को निदेशित किया गया कि शौचालय विहीन परिवारों के घर–घर पहुँचकर उन्हें स्वच्छता के बारे में बतायें एवं उन्हें खुले में शौच नहीं करने तथा उन्हें अपना शौचालय बनाने एवं उसके उपयोग हेतु प्रेरित करें।

(4) बैठक में बताया गया कि चौसा प्रखण्ड को खुले में शौच मुक्त किये जाने हेतु 4000 शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य 10 दिनों के अन्दर प्राप्त करना है तथा इसके लिए प्रतिदिन इस प्रखण्ड में 400 शौचालय एवं प्रति पंचायत 40 शौचालय का निर्माण किया जाना है। निदेशित किया गया कि शौचालय विहीन परिवारों को चिन्हित कर प्रतिदिन उनसे सम्पर्क करेंगे तथा उन्हें प्रेरित कर उनके माध्यम से शौचालय निर्माण करायेंगे। साथ ही सुबह/शाम फॉलोअप, निगरानी एवं संध्या चौपाल भी आयोजित कराने का निदेश दिया गया।

(5) बैठक में बताया गया कि प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संदर्भ में पूर्व के नियम में संशोधित करते हुए विभाग का निदेश प्राप्त हुआ है कि जिन वार्डो में 75 प्रतिशत शौचालयों का निर्माण हो चुका है, उन वार्डो में प्रोत्साहन राशि का भुगतान होगा। प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु शौचालय का निर्माण उचित ढंग से होना चाहिए। अर्थात् दो लिच पिट हो तथा यदि सैप्टिक शौचालय बना है तो उसे निश्चित रूप से सोखता बना होना चाहिए। निदेशित किया गया कि पूर्ण शौचालयों का निरीक्षण करेंगे तथा उसमें कुछ त्रुटि हो उन त्रुटियों को अवलिम्ब निराकरण करायेंगे तथा आवेदन प्राप्त कर उसे प्रखण्ड में जमा करेंगे। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ करेंगे। भुगतान की जानकारी मीडिया को भी देने का निदेश दिया गया ताकि इसकी जानकारी आमजनों को मिल सके।

(6) सभी नोडल पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को पूर्ण शौचालयों का जीओ टैग एवं एम0आई0एस0 इन्ट्री कराने का निदेश दिया गया। साथ ही निदेशित किया गया कि प्रखण्ड स्तरीय वार रूम को कार्यशील कर प्रतिदिन नोडल पदाधिकारियों एवं पंचायत स्तरीय कर्मियों के द्वारा किये जा रहे कार्यो का अनुश्रवण करें।

(7) बैठक में बताया गया कि चौसा प्रखण्ड को खुले में शौच मुक्त करने हेतु सभी विभाग की सहभागिता आवश्यक है। इस क्रम में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीविका के पंचायत स्तरीय कर्मियों सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, चौसा, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, चौसा एवं प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक, जीविका, चौसा अपने कर्मियों को इस संबंध में आदेश निर्गत करेंगे तथा उनके कार्यो का अनुश्रवण करेंगे।

(8) चौसा प्रखण्ड के डिहरी में संध्या चौपाल का आयोजन किया गया था। उक्त स्थल पर पहुँचने पर पाया गया कि वहाँ के अधिकांश ग्रामीण जनता स्थानीय मंदिर में वार्षिक पूजा होने के कारण उक्त मंदिर में गये थे, जिसके कारण संध्या चौपाल आयोजित नहीं किया जा सका। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि संध्या चौपाल किसी अन्य दिन आयोजित कराना सुनिश्चित करेंगे।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 10 – 1241 /गो0 दिनांक 15/04/2018

प्रतिलिपि : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि टिप्पणी की प्रति अपने स्तर से संबंधित प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों/पंचायत के नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला समन्वयक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, बक्सर/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, चौसा/विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, बक्सर/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/04/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।